

**बिहार सरकार**  
**मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग**  
**आदेश**

पटना, दिनांक— 22.05.26


सं० सं०— 8/आ० (राज०उ०)—2-33/2026.....3057/- पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर एवं तुरकौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत परसौना, गदरीया एवं बाल गंगा में माह अप्रैल, 2026 में संदिग्ध परिस्थिति में कुल 10 व्यक्तियों की मृत्यु की पुष्टि होने एवं कई लोगों के बीमार होने के कारण विभागीय निदेश के आलोक में उपायुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा की गयी स्थलीय जाँच के उपरांत पाया गया कि जहरीली शराब की घटना घटने से पूर्व जिले में जनवरी, 2026 से मार्च, 2026 तक में कोई भी स्प्रीट से संबंधित मामला मद्यनिषेध थाना सदर एवं मोतिहारी चलिष्णु दल के द्वारा कोई भी अभियोग दर्ज नहीं किये जाने एवं मद्यनिषेध थाना सदर एवं मोतिहारी चलिष्णु दल की टीम द्वारा इन क्षेत्रों में अवैध शराब के नेटवर्क के विरुद्ध आसूचना संकलन की प्रक्रिया प्रभावी नहीं पाये जाने के कारण सक्रिय एवं संगठित अवैध शराब माफियाओं की पहचान एवं गिरफ्तारी के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी। जाँच के क्रम में प्रभावित स्थल से विभिन्न तिथियों को मद्यनिषेध विभाग की टीम द्वारा जब्त अवैध स्प्रीट के जांचोपरांत Diluted solution of methanol, जो मानव के उपभोग के लिये खतरनाक है, पाया गया। उक्त से स्पष्ट होता है कि मद्यनिषेध थाना सदर, मोतिहारी एवं मोतिहारी चलिष्णु दल के द्वारा सरकारी कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन अपेक्षित स्तर पर नहीं किया गया जिससे वे न केवल मद्यनिषेध नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में विफल रहें बल्कि इससे विभागीय कार्यप्रणाली की विश्वसनियता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह अत्यंत ही गंभीर मामला है तथा राज्य की मद्यनिषेध नीति के विपरीत है। इसमें मुख्य रूप से मद्यनिषेध थाना, सदर मोतिहारी तथा चलिष्णु दल के पदाधिकारियों/कर्मियों के स्तर से उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में चूक हुयी है। उक्त आलोक में श्री शशि ऋषि, सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध, चलिष्णु दल, मोतिहारी से विभागीय पत्रांक 2426 दिनांक 27.04.2026 द्वारा कारण पृच्छा की गयी जिसके अनुपालन में उनके द्वारा अपना कारण पृच्छा सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 1238 दिनांक 09.05.2026 के माध्यम से समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा सरकारी कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन अपेक्षित स्तर पर नहीं किया गया जिससे वे न केवल मद्यनिषेध नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में विफल रहें बल्कि उनके कृत्य से विभागीय कार्यप्रणाली की विश्वसनियता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह अत्यंत ही गंभीर मामला है तथा राज्य की मद्यनिषेध नीति के विपरीत है।

2. अतएव समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए श्री शशि ऋषि, सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध, चलिष्णु दल, मोतिहारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1)(क) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री ऋषि का मुख्यालय गुप सेंटर मद्यनिषेध, सहरसा निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री ऋषि को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-8/आ0 (राज0उ0)-2-33/2026...3057

पटना, दिनांक-22.05.26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ समाहर्ता, सहरसा/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं सहरसा/उपायुक्त मद्यनिषेध, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं कोशी प्रमंडल, सहरसा/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/अधीक्षक मद्यनिषेध, गुप सेंटर, सहरसा/अराजपत्रित स्थापना (उत्पाद), प्रशाखा-7 एवं अराजपत्रित आरोप शाखा (उत्पाद), प्रशाखा-8बी0/आई0टी0 मैनेजर/ श्री शशि ऋषि, सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध, चलिष्णु दल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव